न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/318

लक्ष्मीचन्द मुतवन्ना मथुरा लाल जाति महाजन निवासी मेनरोड सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. कालूलाल आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश शर्मा, श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र गोचर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 92 में कुल 04 किता की रकबा 2.80 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादी कम 01 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है और न ही उनका इस भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । उक्त भूमि को प्रतिवादी जबरत ताकत के बल पर हांकने एवं वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उसके खाते एवं कब्जे की आराजी से बेदखल नहीं करे एवे वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जा चुका था जिसमें टीआई पर बहस हेतु पत्रावली चल रही थी जिसमें बिना किसी प्रकार की बहस सुने ही जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही, तनकीयात कायम किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने पैरवी करने हेतु वकील साहब को नियुक्त किया हुआ था । अपीलान्ट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था तथा पत्रावली बहस में चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी तथा अपीलान्ट के पुत्र के हस्ताक्षर करवा लिये । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.05.2017 को जब अपने वकील साहब के पास जवाबदावा पेश करने हेतु गये तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319 उद्धरत की ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था और धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया गया था और दावे में जवाबदावा पेश होना था । पत्रावली बहस अस्थायी निषेधाज्ञा में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उनके पुत्र के हस्ताक्षर करवा कर बिना किसी राजीनामे के दावा डिक्री किया है । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा वादी के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था जिसमें लोक अदालत में प्रतिवादी के पुत्र उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये

गये थे । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर सीमांज्ञान के आदेश पारित किये जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नहीं हुए वरन् उनके पुत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और पुत्र को पिता की ओर से कोई राजीनामा करने का अधिकार भी नहीं होता है । आदेशिका के अनुसार वादी व प्रतिवादी ने निस्तारण हेतु पत्रावली पर हस्ताक्षर किये हैं परन्तु पत्रावली पर पक्षकारों द्वारा पेश कोई राजीनामा संलग्न नहीं है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावा स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की प्रार्थना की गई थी और दावे के निर्णय में दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने के आदेश तहसीलदार को दिये गये हैं जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में यह सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा